नम्बर
अहकार
हुक्म ...
में जारी ...

राजस्व लोक अदालत 2018 केम्प कोर्ट चमनपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री रतनलाल रेगर आर ए एस)

प्रकरण संख्या 04/2017 प्रार्थनापत्र एलआर

अनवान

1 बालु पिता हरजी रेगर उम्र वयस्क निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 लादु पिता हरजी रेगर उम्र वयस्क निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 मोहन पिता हरजी रेगर उम्र वयस्क निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

.... प्रार्थीगण

बनाम

1 नारायण पिता हीरा रेगर उम्र वयस्क निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 मांगी पुत्री नानु रेगर उम्र वयस्क निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 अमरा पिता गंगा रेगर उम्र वयस्क निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

...........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील प्रार्थी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.05.2018

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम चमनपुरा पटवार हल्का क्षैत्र चमनपुरा तहसील बनेडा की खतौनी संख्या 153 के आराजी संख्या 863, 864, 1134, 1135, 1138, 1139, 1140 किता 07 रकबा 04–01 बीघा भूमि नानु, हरजी, गंगा पिता नन्दा रेगर के नाम से दर्ज राजस्व रेकार्ड चली आ रही है। हरजी पिता नन्दा रेगर जो कि प्रार्थीगण के पिता थे, की मृत्युपरान्त प्रार्थीगण के नाम पर विरासत के खुले नामान्तरकरण में हरजी पिता नन्दा रेगर के स्थान पर राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवश हजारी पिता नन्दा रेगर दर्ज राजस्व रेकार्ड कर दिया गया। उक्त लिपिकीय त्रुटी आजदिनांक तक अनव्रत जारी है जिसे संशोधन की आज्ञा प्रदान की जावें।

अतः ग्राम चमनपुरा पटवार हल्का क्षैत्र चमनपुरा तहसील बनेडा की खतौनी संख्या 153 के आराजी संख्या 863, 864, 1134, 1135, 1138, 1139, 1140 किता 07 रकबा 04–01 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम हजारी पिता नन्दा रेगर के स्थान पर हरजी पिता नन्दा रेगर दुरूस्तीकरण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 03.01.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प चमनपुरा के लिए पंजिबद्ध किया गया। विपक्षीगणो को जारी सम्मन/नोटीस विधिवत तामील होकर रेकार्ड पर उपलब्ध है, किन्तु विपक्षीगणो की और से प्रतिरोध पत्रावली पर अब तक उपलब्ध नही हुआ है। नियत शिविर में भी विपक्षीगणों स्वंय अथवा उनकी और से कोई वैद्य प्रतिनिधी अपना पक्ष रखने/पेरवी करने हाजिर नही आया,

लिहाजा विरूद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत दस्तावेजी पर अध्ययन व मनन पश्चात प्रार्थीगण का प्रा.पत्र लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए न्याय हित में स्वीकार योग्य है प्रतीत होता है।

—:: आदेश::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बनेडा को निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम चमनपुरा पटवार हल्का क्षैत्र चमनपुरा तहसील बनेडा की खतौनी संख्या 153 के आराजी संख्या 863, 864, 1134, 1135, 1138, 1139, 1140 किता 07 रकबा 04—01 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम हजारी पिता नन्दा रेगर के स्थान पर हरजी पिता नन्दा रेगर दुरूस्तीकरण किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 16.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम चमनपुरा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / प्रा.पत्र. एलआर / प्र.स. 04 / 2017 दिनांक 16.05.2018

प्रतिलिपि मय प्रस्तावित नक्शा ट्रेस—

तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि माफिक आदेश के राजस्व अभिलेखों में पालना की जाकर मय पालना रिपोर्ट के नकल जमाबंदी सहित 30 दिन की समयावधि में प्रस्तुत करने की सुनिश्चिता करें।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा,
जिला भीलवाड़ा